



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-06.09.2024

**विषय:- थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा 490 ग्राम अवैध गांजा व 19730/- रू0 नकद के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक-05.09.2024 को समय करीब 19.45 बजे परशुरामपुर में स्थित राज इंग्लिश स्कूल के पास मौजूद भांग की दुकान सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से अभियुक्तगण 1- नत्थू सोनकर पुत्र स्व0 हजारी लाल सोनकर निवासी 18/62 एच-ई मौजा बघवा नाला थाना जैतपुरा वाराणसी व 2- मनोज कुमार गौड़ पुत्र मखन गौड़ निवासी महादेवपुर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 490 ग्राम नाजायज गांजा, 19730/- रू0 नकद व 02 मोबाइल फोन बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 394/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**विवरण पूछताछ-** अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हमलोग एक साथ भांग की दुकान में बैठते हैं, भांग बेचते हैं लेकिन हमारा मालिक भांग के साथ गांजा भी बेचने के लिए दे जाता है, हमलोगों के मालिक सुनील जायसवाल हैं वह कभी-कभी दुकान पर आते हैं तथा अपना पता टेंगरा मोड़ गोपालपुर जनपद चन्दौली बताते हैं सही पता हमलोगों नहीं मालूम है। हम लोगों को 400/- रुपये रोज के हिसाब से मिलता है। हम लोग पैसे की लालच में गांजा बेचते हैं। दुकान मालिक द्वारा दिये गये अवैध गांजे की छोटी-छोटी प्लास्टिक की पुड़िया में पैक करके फुटकर तरीके से बेचते हैं और आज भी ग्राहकों को बेच रहे थे कि आप लोगों ने हम दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

- 1- नत्थू सोनकर पुत्र स्व0 हजारी लाल सोनकर निवासी 18/62 एच-ई मौजा बघवा नाला थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 49 वर्ष।
- 2- मनोज कुमार गौड़ पुत्र मखन गौड़ निवासी महादेवपुर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 25 वर्ष।

### **बरामदगी का विवरण-**

एक बण्डल 490 ग्राम नाजायज गांजा, 19730/- रू0 नकद व 02 अदद मोबाइल फोन।

## आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 394/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

## गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- उ0नि0 दुर्गेश सिंह थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
- 2- उ0नि0 भरत कुमार चौधरी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
- 3- हे0का0 विनोद कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
- 4- का0 देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।



सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।